न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 194 / 2025 अपील (GCMS 2025/225)
पंजीयन दिनांक – 26 / 09 / 2025
निर्णय दिनांक – 29 / 12 / 2025

एकेएच लोज रिट्रीट एल एल पी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री प्रतिक नाहर, पता 53 मोती मगरी स्कीम, उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर

– रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार शर्मा – वकील अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या एलसी / 2024–25 / 213360 निर्णय दिनांक 02.05.2025

निर्णय

दिनांकः 29 / 12 / 2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या एलसी / 2024–25 / 213360 निर्णय दिनांक 02.05.2025 औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आवेदन निरस्त के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने राजस्व ग्राम चीखा, तहसील बडगांव की 0.4300 वर्ग मीटर भूमि का औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। जिला

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

कलक्टर द्वारा आवेदन पत्र की जांच उपखण्ड अधिकारी, बडगांव से करवाई गई। उपखण्ड अधिकारी, बडगांव एवं तहसीलदार, बडगांव द्वारा आवेदित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने की अनुशंषा करने उपरान्त भी जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 02.05.2025 को अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि जिला कलक्टर के आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई। जानकारी होने पर नकलें लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त होते ही समय पर अपील प्रस्तुत कर दी। जानबूझ कर विलम्ब से पेश नहीं की है जिससे अपील अपील मयाद में शुमार की जावे। गुणावगुण पर बताया कि उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा संपरिवर्तन की अनुशंषा की गई इसके बावजूद भी भूमि तालाब के पास स्थित होना तथा गूगल मेप से भूमि जलागम क्षेत्र होने से आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया जो कि न्यायसंगत नहीं है। मौके पर तालाब नहीं होकर नाड़ी है और वहां जल संग्रहण नहीं होता है। नाड़ी आवेदित भूमि से करीब 80 फीट दूर है इसके बावजूद भी आवेदन पत्र खारिज कर कलक्टर ने भूल की है जिससे अपील स्वीकार कर भूमि संपरिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि अपील मयाद बाहर है जिससे इसी बिन्दु पर अपील खारिज की जावे। यह भी बताया कि आवेदित भूमि जल संग्रहण क्षेत्र के पास है जिससे अब्दुल रहमान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के प्रकाश में कलक्टर द्वारा उचित आदेश ही दिया गया है जिससे अपील खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पर्यटन इकाई की विशिष्ट अवस्थिति के दृष्टिगत वृहद पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों व माननीय न्यायालयों द्वारा दिग्दर्शित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन संबंधी सुरक्षात्मक उपायों के परिप्रेक्ष्य में संपरिवर्तन आवेदन निरस्त किया गया है।

अतः जिला कलेक्टर, उदयपुर के उपरोक्त विवेचनात्मक आदेश दिनांक 02.05.2025 में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाने से अपील अस्वीकार की जाती है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर